न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/334 दर्ज तिथिः–06.08.2024

1. पुरोदवी पत्नी पदमाराम
   जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

.................वादी

बनाम

1. तगाराम पुत्र राजूराम
2. करनाराम पुत्र राजूराम
3. चम्पाराम पुत्र राजूराम
4. दुर्गाराम पुत्र राजूराम
5. वीरमाराम पुत्र राजूराम
   जाति दर्जी निवासी आसूओं की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

..............असल प्रतिवादीगण

6. शाखा प्रबंधक आरएमजीबी शाखा सड़ा
7. तहसीलदार नोखड़ा।

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादीगणः– एकतरफा

दावा अन्तर्गत धारा– 88,53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम–1955

&¼fu.k;½&

निर्णय तिथिः– 03.07.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 21/14.9584 है0 वाके ग्राम आसूओं की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:03:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। वादी पंजीकृत बयनामा दिनांक 10.01.2022 के आधार पर उक्त आराजी में संयुक्त खातेदार व काश्तकार है। परन्तु वादी का नाम अभी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त संयुक्त विवादित आराजीयात में वादी को पंजीकृत बयनामा दिनांक 10.01.2022 के आधार पर उक्त आराजी में संयुक्त खातेदार व काश्तकार घोषित करते हुए पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण में अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा दौरान–ए–बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.03.2025 को जारी की जाकर तहसीलदार नोखड़ा से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/420 दिनांक 02.06.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/420 दिनांक 02.06.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the*	प्रकरण में दिनांक 07.05.2025 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:03:46 IST
Reason: SelfAttested

parties.	
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस पत्रांक 1134–1139 दिनांक 24.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 07.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस पत्रांक 1134–1139 दिनांक 24.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 07.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी सम्वंत 2076–2079 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 21/14.9584 है0 वाके ग्राम आसूओं की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। वादीगण की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा–ट्रेस एवं पक्षकारान सहमति के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहॉं प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> > *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> > *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> > *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> > *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:03:46 IST
Reason: SelfAttested

5. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान / अतिक्रमण किया जा रहा हो / किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न / अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे / होने वाले संभावित अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक / मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत / संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

6. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक–पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

7. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:03:46 IST
Reason: SelfAttested

पुरोदवी बनाम तगाराम
2024/334
निर्णय दिनांकः–04.07.2025

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 21/14.9584 है0 वाके ग्राम आसूओं की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
पूरोंदेवी पत्नी पदमाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	आसूओं की ढाणी	21	1.2788	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.2788 है0				
करनाराम पुत्र राजूराम हि0 1813/8278 चम्पाराम पुत्र राजूराम हि0 1813/8278 तगाराम पुत्र राजूराम हि0 513/4139 दुर्गाराम पुत्र राजूराम हि0 1813/8278 वीरमाराम पुत्र राजूराम हि0 1813/8278 जाति दर्जी सा0 देह खातेदार रहन–चम्पाराम का हि0 आरएमजीबी शाखा सड़ा	आसूओं की ढाणी	21 21	6.4358 6.9638	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 13.3996 है0				
करनाराम पुत्र राजूराम हि0 1/4 चम्पाराम पुत्र राजूराम हि0 1/4 तगाराम पुत्र राजूराम हि0 1/4 जाति दर्जी पूरोदेवी पत्नी पदमाराम हि0 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार	आसूओं की ढाणी	21	0.2800	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.2800 है0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:03:46 IST
Reason: SelfAttested

पुरोदवी बनाम तगाराम
2024 / 334
निर्णय दिनांकः—04.07.2025

यह निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:03:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 / 334 दर्ज तिथिः–06.08.2024

1. पुरोदवी पत्नी पदमाराम
   जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

..................वादी

बनाम

1. तगाराम पुत्र राजूराम
2. करनाराम पुत्र राजूराम
3. चम्पाराम पुत्र राजूराम
4. दुर्गाराम पुत्र राजूराम
5. वीरमाराम पुत्र राजूराम
   जाति दर्जी निवासी आसूओं की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

...............असल प्रतिवादीगण

6. शाखा प्रबंधक आरएमजीबी शाखा सड़ा
7. तहसीलदार नोखड़ा।

..............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादीगणः– एकतरफा

दावा अन्तर्गत धारा– 88,53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम–1955

&%i pk fMØh%&

दावा वादी अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 21/14.9584 है0 वाके ग्राम आसूओं की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:03:46 IST
Reason: SelfAttested

पुरोदवी बनाम तगाराम
2024 / 334
निर्णय दिनांकः—04.07.2025

रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
पूरोंदेवी पत्नी पदमाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	आसूओं की ढाणी	21	1.2788	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.2788 है0				
करनाराम पुत्र राजूराम हि0 1813 / 8278 चम्पाराम पुत्र राजूराम हि0 1813 / 8278 तगाराम पुत्र राजूराम हि0 513 / 4139 दुर्गाराम पुत्र राजूराम हि0 1813 / 8278 वीरमाराम पुत्र राजूराम हि0 1813 / 8278 जाति दर्जी सा0 देह खातेदार रहन—चम्पाराम का हि0 आरएमजीबी शाखा सड़ा	आसूओं की ढाणी	21 21	6.4358 6.9638	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 13.3996 है0				
करनाराम पुत्र राजूराम हि0 1 / 4 चम्पाराम पुत्र राजूराम हि0 1 / 4 तगाराम पुत्र राजूराम हि0 1 / 4 जाति दर्जी पूरोदेवी पत्नी पदमाराम हि0 1 / 4 जाति जाट सा0 देह खातेदार	आसूओं की ढाणी	21	0.2800	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.2800 है0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.04 20:03:46 IST
Reason: SelfAttested